

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड रा.३०

2

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट वाकत।

महोदय ,

निवेदन है कि ग्राम दोहरा जमाबंदी सं. 2042-75 के खाता सं. 64 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिरसा/जाति/निवासी में मल्ल इन्द्राज/मिलिटीय टुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

श्रू प्रबंध खातीनी खाता सं.	श्रू प्रबंध खातीनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ टुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
५५	अगवान पुत्र फन्नालाल सि/५५ जाति-चकार सांठेद खातेदार	५५	अगवान पुत्र फन्नालाल सि/५५ जाति-चकार सांठेद खातेदार	जाति-चकार अपधाना चकार

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. अगवान पुत्र फन्नालाल चकार
2. फालाल पुत्र पुर्वीलाल चकार
3. जगदीश पुत्र रागलाल चकार
4.

हस्ताक्षर

अगवान MM
Kandh
सांठेद खातेदार

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्राधी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम दोहरा के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /श्रू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज टुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

.....
हस्ताक्षर पटवारी
प०म० सांठेद

रिपोर्ट भूअभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज टुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

.....
भूअभिलेख निरीक्षक
भू०अ०नि०वृ० सांठेद
281



रिपोर्ट तहसीलदार/पैरोकार सरकार

क्रमांक राजस्व/2025//

दिनांक :

कालेद्वय, ज्ञान रिपोर्ट धरवारी एवं सूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम बोरवा के वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सावर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/सायब तहसीलदार
तहसीलदार (भ.अ.)
पिडावा जि. झालावाड

आदेश

न्यायालय सपखम्ह अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक राजस्व न्यायालय/2025// 203

दिनांक : 06/10/25

वादी/प्राथी के ग्राम बोरवा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार पिडावा की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तापित सारणी के कॉलम 4 में अंकित चुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करें।

सपखम्ह अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

नाम :- बोरवा
कार हल्का :- बे-
भ.अभि.नि.दे-
तहसील-
4